न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/175/2015 दायर दिनांकः– 05/05/2015

जीसीएमएस नं0ः–2013/398 निर्णय दिनांकः– 14.05.2024

वउनवान

1. होती पुत्र मिश्री जाति हैवासी ब्राहमण निवासी लाठकी (मृतक)

1/1 पिरमा पुत्री होती पत्नी चेतराम जाति ब्राहमण निवासी कुरकेन तहसील नगर जिला भरतपुर

1/2 चौखी पुत्री होती जाति ब्राहमण निवासी लाठकी

1/3 रूक्को पुत्री होती जाति ब्राहमण निवासी लाठकी

1/4 रामकटोरी पुत्री होती पत्नी राजाराम जाति ब्राहमण निवासी सितारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

1/5. सुखिया बेवा होती जाति ब्राहमण निवासी लाठकी तहसील कठूमर

1/6. श्यामसुन्दर पुत्र होती जाति ब्राहमण निवासी लाठकी तहसील कठूमर

.............वादीगण

बनाम

1. रामहरी पुत्र हरचन्दी जाति ब्राहमण निवासी लाठकी तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक महोदय कठूमर जिला अलवर

.....................प्रतिवादीगण

दावाइस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थितः–श्री राधाबल्लभ शर्मा– अधिवक्ता वादीगण

श्री सुभाषचन्द "अरूवा"–अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:05 IST
Reason: SelfAttested

::निर्णय::

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 6

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 255 रकबा 15 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 479 रकबा 10 बिस्वा ग्राम लाठकी तहसील कठूमर में स्थित है। साबिक खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा तरफ दक्षिण वादी की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। तमाम साबिक रेवन्यु रेकार्ड में उक्त विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा बाबत वादी के पिता श्री मिश्रीलाल के नाम कब्जे काश्त खातेदारी के इन्द्राजात दर्ज है। प्रतिवादी ने सैटलमेंण्ट से मिलकर खिलाफ कानून खिलाफ मौका विधि विरुद्व तरीके से वादी के कब्जे काश्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा तरफ दक्षिण के रकबा 5 बिस्वा बाबत खातेदारी खत्म करवाकर अपने नाम खसरा नम्बर 255 रकवा 10 बिस्वा के स्थान पर रकबा 15 बिस्वा बाबत खातेदारी के इन्द्राज दर्ज करवा लिये अर्थात सैटलमेंण्ट ने वादी की साबिक आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के रकबा 5 बिस्वा की खातेदारी खत्म कर प्रतिवादी के नाम खसरा नम्बर 255 रकबा 10 बिस्वा के स्थान पर रकबा 15 बिस्वा बाबत खातेदारी कायम कर दी जबकि सैटलमेंण्ट को वादी की साबिक आराजी खसरा नम्बर 479 रकवा 2 बीघा 11 बिस्वा में से रकबा 5 बिस्वा बाबत खातेदारी खत्म कर प्रतिवादी के नाम खसरा नम्बर 255 रकबा 10 बिस्वा के स्थान पर 15 बिस्वा की खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। सैटलमेंण्ट कर्मचारियों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा बाबत वादी के नाम खातेदारी के इन्द्राजात ही रिपीट करने चाहिए थे इस वजह से विवादित आराजी के रकवा 5 बिस्वा बाबत प्रतिवादी के नाम तमाम हाल राजस्व रिकार्ड गलत, प्रारम्भ से ही शून्य तथा नल एण्ड वॉयड है। गलत इन्द्राज की, जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी से रकबा 5 बिस्वा को अपने नाम करवाने बाबत कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादी ने उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त ना कराने के साथ साथ वादी को खुले आम धमकी दी है कि मैं तुम्हें उक्त आराजी के रकबा 5 बिस्वा पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दूँगा जबरन बेदखल कर दूँगा तथा खसरा नम्बर 255 रकबा [illegible] बिस्वा को प्रतिवादी सं0 2 से मिलकर कर उक्त आराजी को दीगर लोगों को रहन बय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:05 IST
Reason: SelfAttested

दूंगा। प्रतिवादी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादी अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गया तो वादी को अपार हानि होगी। अतः वादी ने खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के आधार पर खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा बाबत खातेदारी की घोषणा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व वाद वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जबाव दावा पेश कर कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 2 वीघा 11 बिस्वा तरफ दक्षिण का रकबा वास्तव में रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा था तथा मौके पर पहले साबिक आराजी खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का था। मौके पर खसरा नम्बर 255 का रकबा 15 बिस्वा है तथा पहले भी रकबा 15 बिस्वा ही था सैटलमेण्ट ने मुताबिक मौका एंव कब्जा के सही इन्द्राज किये है। विवादित आराजी वादी के भाईयों की खातेदारी में थी, जिनसे खसरा नम्बर 479 खरीद किया है। खरीद शुदा आराजी का बयनामा 2 बीघा 6 बिस्वा का है। वादी को 2 बीघा 6 बिस्वा से ज्यादा भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नही होते। हाल राजस्व रेकार्ड सही है जिसे प्रारम्भ से ही शून्य नल एण्ड वॉयड करार नहीं दिया जा सकता। विवादित आराज़ी का रकबा आज भी 2 बीघा 6 बिस्वा है तथा वादी 2 बीघा 6 बिस्वा का ही लगान अदा कर रहा है। वादी का रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा पर कब्जा ना होकर रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा पर कब्जा है। वादी व प्रतिवादी के खेतों के मध्य कदीमी डौल बनी हुई है। जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद शुदा आराजी रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा से अधिक आराजी की बादी खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकार नहीं रखता है। वादी को खरीद की गयी आराजी से अधिक आराजी की घोषणा कराने का दावा इस्तकरारहक लाने का अधिकार नहीं है वादी को किसी तरह का नुकसान व क्षति नहीं हो रही है। वादी प्रतिवादी को स्थ[illegible]ज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार नहीं रखता है। अतः प्रतिवादी ने वादी [illegible] की खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:05 IST
Reason: SelfAttested

वादी के दावा व प्रतिवादी के जबाव दावा के आधार पर वाद में कुल 4 तनकियां कायम की गयी जो निम्न प्रकार से है –

तनकी संख्या1–इस प्रकार से है कि आया साबिक खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा तरफ दक्षिण वादी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसका हाल खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा एंव 255 में से 5 बिस्वा रफबा है– – जिम्मेवादीगण

तनकी संख्या 2– इस प्रकार से है कि आया सैटलमेंण्ट विभाग ने गलत तरीके से खसरा नम्बर 255 में वादी की 5 बिस्वा आराजी गलत रूप से मिलाकर खसरा नम्बर 255 का रकबा 15 बिस्वा गलत दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी साबिक खसरा नम्बर 479 के रकबा 10 बिस्वा रकबा का काश्तकार था – – जिम्मेवादीगण

तनकी संख्या 3–इस प्रकार से है कि आया प्रतिवादी वादी के उक्त 5 बिस्वा रकबे पर काश्त में मजामहत करता है इसलिए वादी हुक्मइन्तनाई दवामी की डिक्री प्रतिवादी के विरूद्व प्राप्त करने का अधिकारी है – जिम्मेवादीगण

तनकी संख्या 4– इस प्रकार से है कि आया वादी 5 बिस्वा खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है – – जिम्मेप्रतिवादी

तनकी संख्या 5–दादरसी की है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2020 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत् 2020 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श–6, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–7 जमाबन्दी संवत् 2015 प्रदर्श–8, नकल जमाबन्दी संवत् 2015 प्रदर्श–9, एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2056 प्रदर्श–10 पेश किये है। मौखिक साक्ष्य में वादी होतीलाल पीडब्ल्यू 1 के बयान लेखबद्ध कराये है। प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी रामहरी डी डब्ल्यू–2 व गवाह मनीराम, कृष्ण हरी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

प्रहलाद मीना के बयान लेखबद्व कराये है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी ने अपने समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

उभय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा तरफ दक्षिण वादी की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तमाम साबिक रेवन्यु रेकार्ड में उक्त आराजी का साबिक खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा बाबत वादी के पिता श्री मिश्रीलाल के नाम कब्जे काश्त खातेदारी के इन्द्राजात दर्ज है। सैटलमेंण्ट कर्मचारियान ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से वादी के कब्जे काश्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 479 तर्फ दक्षिण के रकबा 5 बिस्वा बाबत खातेदारी खत्म कराकर प्रतिवादी के नाम खसरा नम्बर 255 के रकबा 10 बिस्वा के स्थान पर 15 बिस्वा दर्ज कर दी जो गलत है गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है तथा रकबा 5 बिस्वा को रहन बय करने की धमकी देता है। तमाम साबिक रेवन्यु रेकार्ड से वादी की पुरानी खातेदारी व कब्जा साबित है। अतः दावा वादी साबित होने से डिक्री किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने तर्को की पुष्टि में कानूनी नजीर DNJ 2018 (Rev.) Page 135 की छाया प्रति पेश की है तथा जमाबन्दी संवत् 2011 की सत्यापित प्रति पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी लिखित बहस अपने जबाव दावा के अनुसार पेश कर वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाह बयान एवं कानूनी नजीर का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य उभयपक्षकारान अभिभाषक की बहस के आधार पर वाद में कायम तनकीयात का निम्नानुसार निस्तारण निम्न प्रकार से किया गया है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

तनकी सं0 1 ला0 3 समान प्रकृति की है जिनको सावित करने का भार वादीगण पर है तीनों तनकियों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादीगण ने अपने वाद को साबित करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 10 सत्यप्रतिलिपी पेश कर प्रदर्शित कराई है। नकल मिलान क्षेत्रफल से यह सही है कि साबिक खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 254 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 479 रकबा 15 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 255 रकबा 15 बिस्वा है। जमाबन्दी संवत् 2015 में साबिक खसरा नम्बर 479 मिन दक्षिण रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का मिश्री हिस्सेदार खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 479 मिन तरफ उत्तर रकबा 10 बिस्वा हरचन्द खातेदार के नाम दर्ज है। जमाबन्दी 2055 में खसरा नम्बर 254 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा होती पुत्र मिश्री हैबासी ब्राहमण व खसरा नम्बर 255 रकबा 15 बिस्वा रामहरी पुत्र हरचन्दी की खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2020 में साबिक खसरा नम्बर 479 तरफ उत्तर रकबा 10 बिस्वा हरचन्द मुन्दर्जे खातेदार व जमाबन्दी संवत् 2028 में खसरा नम्बर 255 रकबा 15 बिस्वा हरचन्दी पुत्र नन्दलाल के नाम व जमाबन्दी संवत् 2020 में खसरा नम्बर 479 तरफ दक्षिण रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा मिश्री पुत्र मुरली खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा मिश्री पुत्र मुरली कौम हैबासी ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2011 में खसरा नम्बर 479 मिन तरफ दक्षिण रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा मिश्री हिस्सेदार के नाम व खसरा नम्बर 479 मिन तरफ उत्तर रकबा 10 बिस्वा हरचन्द मु0 खेवट सं0 2 निशफ मिश्री इत्यादि मु0 खेवट नं0 9 निशफ के अनुसार खातेदारी में दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता वादी का मुख्य कथन रहा है कि आराजी खसरा नम्बर 479 तरफ दक्षिण रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा है, जो बन्दोबस्त से पूर्व मृतक होती के पिता व वादीगण के दादा मिश्री की खातेदारी में दर्ज है तथा साबिक खसरा नम्बर 479 तरफ उत्तर रकबा 10 बिस्वा प्रतिवादी [illegible] पिता हरचन्द की खातेदारी में दर्ज है। बन्दोबस्त विभाग ने खिलाफ [illegible] मौका विधि विरूद्व तरीके से खसरा नम्बर 479 तरफ दक्षिण रकबा [illegible] बिस्वा का 5 बिस्वा रकबा कम कर हाल खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बी[illegible] 6 बिस्वा कायम कर दिया तथा रकबा 5 बिस्वा रकबा खसरा नम्बर 479 रकबा 10 बिस्वा में मिलाकर इसका खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:05 IST
Reason: SelfAttested

14.5.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

255 रकबा 15 बिस्वा कायम कर दिया। जो गलत है खसरा नम्बर 255 रकबा 15 बिस्वा में से रकबा 5 बिस्वा कम कर खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के स्थान पर इसका रकबा 2 बीघा 11 कायम किया जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत तमाम साबिक रेवन्यु रेकार्ड के अवलोकन से खसरा नम्बर 479 तरफ दक्षिण का रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 479 तरफ उत्तर का रकबा 10 बिस्वा वादी द्वारा प्रस्तुत तमाम रेवन्यु रिकार्ड से साबित है। संवत् 2028 में बन्दोबस्त के दौरान प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 255 में रकबा 10 बिस्वा के स्थान पर 5 बिस्वा बढाकर 15 बिस्वा कायम किया जाना साबित है। बयान वादी व दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी पर वादीगण का 2 बीघा 11 बिस्वा पर बन्दोवस्त के पूर्व से अब तक लगातार कब्जा साबित है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क रहा कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया है तो इससे अधिक भूमि पर वादी खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। उक्त आराजी रकबा 2 बीघा 6 विस्वा वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की हो व वादी का रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा पर कब्जा ना होकर रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा पर ही कब्जा हो या बन्दोवस्त से पूर्व उक्त साबिक खसरा नम्बर 479 तरफ दक्षिण का रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ही रहा हो तथा प्रतिवादी के आराजी खसरा नम्बर 255 का रकबा साबिक रिकार्ड के अनुसार 15 बिस्वा ही रहा हो इसके लिये प्रतिवादी ने कोई प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये है और वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रेवन्यु रिकार्ड के खण्डन मे प्रतिवादी ने अपनी ओर से कोई दस्तावेंजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने तर्को की पुष्टि में कानूनी नजीर की छाया प्रति पेश की है जिसके अनुसार सेटलमेंण्ट विभाग को खातेदार का क्षेत्रफल कम करने का अधिकार नही है बल्कि पूर्व की सिर्फ को दोहराना सेटलमन्ट का कार्य होता है। यहां सैटलमेंन्ट विभाग ने [illegible] इन्द्राज रिपीट ना कर वादी की खातेदारी की आराजी से रकबा 5 बिस्वा कम कर प्रतिवादी की खातेदारी में बढा दिया है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि सैटलमेंट द्वारा की गयी गलती का खामियाजा खातेदार को नहीं दिया जा सकता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी कानूनी नजीर व साबिक रेवन्यु रिकार्ड का प्रतिवादी ने खण्डन नहीं किया है। अतः

14.5.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:05 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, बयानात, पत्रावली के तथ्यों से दावा वादीगण साबित है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी कानूनी नजीर प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होती है। अतः उपरोक्त तीनों तनकियों के एक साथ विस्तृत विवेचन से प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 15 बिस्वा से 5 बिस्वा कम कराकर वादीगण अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के स्थान पर रकबा 2 वीघा 11 बिस्वा खातेदारी में घोषित कराने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः तनकी संख्या 1 से 3 वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी सं0 4—को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क रहा कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 479 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया है तथा वादी का रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा पर ही कब्जा है इससे अधिक भूमि पर वादी खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। इसके लिये वादीगण को यह साबित करना था कि उक्त आराजी रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है व वादी का रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा पर कब्जा ना होकर रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा पर ही कब्जा है या बन्दोवस्त से पूर्व उक्त साबिक खसरा नम्बर 479 तरफ दक्षिण का रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ही रहा है तथा प्रतिवादी के आराजी खसरा नम्बर 455 का रकबा साबिक रिकार्ड के अनुसार 15 बिस्वा ही रहा है इन बिन्दुओं को प्रतिवादी साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में चार गवाहों के बयान रिकार्ड कराये है। वादी ने अपनी जिरह मे यह कथन किया है कि मेरे खेत का रकवा 10 बिस्वा ना होकर 15 बिस्वा है इसके लिये मैंने कोई पुराना रिकार्ड पेश नही किया है और ना मैंने पुराना रिकार्ड देखा, वादी का कब्जा 2 बीघा 11 बिस्वा पर हो तो मुझे पता नहीं। प्रतिवादी ने अपनी ओर से तीन [illegible] के बयान बतौर शपथ पत्र पेश किये हैं जिन पर जिरह नहीं होने से विश्वसनीय नहीं है। अतः इस तनकी को प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी वहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.06.05 17:33:05 IST
Reason: Self Attested

14.5.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

दादरसी– उपरोक्त तनकियों के विस्तृत विवेचन से चारों तनकियां वहक वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 15 बिस्वा में से 5 बिस्वा कम कराकर आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है। अतः वाद वादीगण साबित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

–:आदेशः–

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी के आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 15 बिस्वा में से 5 बिस्वा कम कर इसे आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में मिलाकर खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम लाठकी तहसील कठूमर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 5 बिस्वा में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजामहत पैदा ना करे। तहसीलदार कठूमर को आदेशीत किया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 14.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.5.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:05 IST
Reason: SelfAttested

-: पर्चा-डिक्री :-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/175/2015 दायर दिनांकः– 05/05/2015

जीसीएमएस नं0ः–2013/398 निर्णय दिनांकः– 14.05.2024

बउनवान

1. होती पुत्र मिश्री जाति हैबासी ब्राहमण निवासी लाठकी (मृतक)

1/1 पिरमा पुत्री होती पत्नी चेतराम जाति ब्राहमण निवासी कुरकेन तहसील नगर जिला भरतपुर

1/2 चौखी पुत्री होती जाति ब्राहमण निवासी लाठकी

1/3 रूक्को पुत्री होती जाति ब्राहमण निवासी लाठकी

1/4 रामकटोरी पुत्री होती पत्नी राजाराम जाति ब्राहमण निवासी सितारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

1/5. सुखिया वेवा होती जाति ब्राहमण निवासी लाठकी तहसील कठूमर

1/6. श्यामसुन्दर पुत्र होती जाति ब्राहमण निवासी लाठकी तहसील कठूमर

..........................डिक्रीदारान

बनाम

1.रामहरी पुत्र हरचन्दी जाति ब्राहमण निवासी लाठकी तहसील कठूमर

2.उप पंजीयक महोदय कठूमर जिला अलवर

.....................मदयूनान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:05 IST
Reason: SelfAttested

दावा इस्तकरारहक व हुक्म इन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी के आराजी खसरा नम्बर 255 रकवा 15 बिस्वा में से 5 बिस्वा कम कर इसे आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में मिलाकर खसरा नम्बर 254 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम लाठकी

14.5.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

तहसील कठूमर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी को स्थाई, निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 5 बिस्वा में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजामहत पैदा ना करे। तहसीलदार कठूमर को आदेशीत किया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आज दिनांक 14.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से ज़ारी की गई।

14.5.24

सुखाराम पिण्डेल(आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:05 IST
Reason: SelfAttested